

सं. 16/05/2018-हिन्दी

प्रमुख अभियन्ता

आदती सं. H-5999
दिनांक 10-08-18

प्रमुख अभियन्ता

(निदेशक (कार्य एवं स्था.) का)

(निदेशक (अनुस्थला))

उप सतर्कता अधिकारी 10.8.18

उपनिदेशक (स्थान/पद/प्रमुख सूची)

भारत सरकार

महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 09.08.2018

कार्यालय जापन

विषय: "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास 2018" का आयोजन।

अधीक्षित को यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष की भाँति के लोगों वि. वि. के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 01 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 के दौरान "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास 2018" मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय इस अवधि के दौरान हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने और विभिन्न गतिविधियाँ यथा हिन्दी कार्यशाला, काट्य संगोष्ठी आदि का आयोजन करने के साथ-साथ निवध, टिप्पण प्रारूपण, टंकण आदि हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार प्रथम पुरस्कार 4100/-रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3100/-रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 2100/-रुपये और सांत्वना पुरस्कार (दो) 1100/-रुपये के द्वारा जाने अपेक्षित हैं।

राजभाषा हिन्दी के लिए मानसिक वातावरण तैयार करने हेतु 01 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक 'हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास' के दौरान हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाएं। हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में क्रृति की स्वीकृति, ठेकेदार के बिल, ड्राइंग, लेखा, टिप्पण एवं आलेखन आदि कार्य शामिल किए जा सकते हैं।

संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय में किए जा रहे कार्य की प्रकृति को देखते हुए इन विषयों में परिवर्तन कर हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता की संरचना स्वयं तैयार कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ कार्यालयों के आकार को देखते हुए यह निर्णय ले सकते हैं कि यह प्रतियोगिता ए सामूहिक आधार पर आयोजित की जाएं या अलग-अलग की जाएं। इस प्रतियोगिता में 11 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार-4100/-रुपये, द्वितीय पुरस्कार(दो)-3100/-रुपये, तृतीय पुरस्कार(तीन)-2100/-रुपये तथा सांत्वना पुरस्कार(पाँच)-1100/-रुपये होंगे। (एक कार्मिक

को दो से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई प्रतिभागी दो प्रथम पुरस्कारों के लिए विजयी होता है तो उसे एक प्रथम और एक द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा।)

इन प्रतियोगिताओं के आयोजन पर आनेवाला व्यय संबंधित कार्यालय स्वयं वहन करेंगे। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हरीश कुमार)

उप महानिदेशक (निर्माण)

सेवा में, (केलोनिवि की वेबसाइट द्वारा)

दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर स्थित सभी विशेष महानिदेशक/सभी अपर महानिदेशक/सभी उप महानिदेशक/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुक एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भी "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास" मनाने के संबंध में समुचित निर्देश जारी करें।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (रा.भा.), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

हरीश कुमार

(हरीश कुमार)

उप महानिदेशक (निर्माण)

कार्यालय प्रमुख मनोनियोगी

क्र. हृ-दन-री/ ५३(१)/२०१७/५२५०

दिनांक १६/८/१८

प्रतिलिपि-प्रमाण द्वारा आवश्यक समीक्षा द्वारा कृपया कुप्रियता:-

① लो० नियोगी के मानकीय सभी अन्यले कार्यालय/सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यों का

Q2.

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो० नियोगी, दिल्ली सरकार
12वां तुल, पुलिस मुख्यालय,
८ हाई दिल्ली-110002